1116 प्रशा II
4-5-12

46

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*

सत्यमेव जयते

चैत्र 1, बुधवार, शाके 1934–मार्च 21, 2012
Chaitra 1, Wednesday, Saka 1934- March 21, 2012

भाग 1 (ख)

महत्पूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 09, 2012

संख्या प.3(17)वन/2011:–वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या–53) की धारा 36 ए की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार नागौर जिले की नीचे दी गयी अनुसूची में वर्णित अवर्गीकृत वनभूमि को परिस्थितिकीय एवं प्राणीजातीय, वनस्पतीय एवं भू सरंचना संबंधित नैसर्गिक एवं प्राणो शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा "कन्जरवेशन रिजर्व" घोषित करती है। इसे भविष्य में "गोगेलाव कन्जरवेशन रिजर्व" के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए आदेशों के उपबन्धों का विषय होगा। गोगेलाव कन्जरवेशन रिजर्व का कुल क्षेत्रफल 358.00 हैक्टर है।

अनुसूची

उत्तरी सीमा	:–	राष्ट्रीय राजमार्ग 89 बीकानेर से अजमेर
दक्षिणी सीमा	:–	इन्दास एवं बासनी ग्राम कृषि क्षेत्र
पूर्वी सीमा	:–	नागौर नगरपालिका की सीमा
पश्चिमी सीमा	:–	गोगेलाव ग्राम कृषि क्षेत्र

राज्यपाल की आज्ञा से,
सी.एस. रत्नासामी,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।

5664
17/8/12

47

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक : प.3(17)वन/2011 जयपुर, दिनांकः 16.8.2012

आज्ञा

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 36 बी की उप–धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा "गोगेलाव कन्जरवेशन रिजर्व" के संरक्षण, प्रबन्ध एवं रख रखाव के सम्बन्ध में मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक को परामर्श देने के लिए निम्नानुसार प्रबन्धन समिति का गठन करती है, अर्थात् :–

1	सरपंच, ग्राम पंचायत, दुकौसी	सदस्य
2	सरपंच, ग्राम पंचायत, गोगेलाव	सदस्य
3	सरपंच, ग्राम पंचायत, बालवा	सदस्य
4	सरपंच, ग्राम पंचायत, सिगड	सदस्य
5	सरपंच, ग्राम पंचायत, अलाय	सदस्य
6	श्री हिम्मताराम भांबू, अध्यक्ष, पिपुल्स फोर एनीमल्स, नागौर	सदस्य
7	श्री रामरतन विश्नोई, अध्यक्ष, जीव रक्षा विश्नोई सभा	सदस्य
8	श्री बलदेव सांखला, अध्यक्ष, महावीर गौशाला, नागौर	सदस्य
9	उप निदेशक, पशुपालन विभाग, नागौर	सदस्य
10	उप निदेशक, कृषि विभाग, नागौर	सदस्य
11	उप वन संरक्षक, नागौर	सदस्य सचिव

वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 की धारा 36 बी की उप–धारा (3) के प्रावधानों के अनुसार उक्त समिति अध्यक्ष के निर्वाचन एवं प्रबन्धन व रख रखाव के लिए प्रकिया का निर्धारण स्वयं करेगी।

आज्ञा से

(सी.एस. रत्नासामी)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं :–

1. प्रमुख सचिव, राज्यपाल, राजस्थान, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त निजी सचिव/मंत्री/राज्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव
6. प्रधान मुख्य वन संरक्षक (एच.ओ.एफ.एफ), राजस्थान, जयपुर।
7. प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर।
8. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
9. मुख्य वन संरक्षक अजमेर।
10. जिला कलक्टर, नागौर।
11. उप वन संरक्षक, नागौर।
12. प्रशासनिक सुधार विभाग, अनुभाग–8 को अतिरिक्त 10 प्रतियों सहित
13. अधिक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, राजस्थानजयपुर को प्रेषित कर लेख है कि असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर 50 अतिरिक्त प्रतियां भिजवाये।
14. गार्ड पत्रावली।